न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉं, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 63 / 2023 प्रार्थना पत्र दर्ज तिथिः 20.04.2023
GCMS No. : 2023/414

श्री नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर पिता लक्ष्मीलाल जाति धाकड आयु 53 वर्ष निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल जाति धाकड आयु 52 वर्ष निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़

.............अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री अनिल पाटीदार
अप्रार्थीगण नं. 2 अधिवक्ता :–पैरोकार सरकार स्वयं

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि : 10.08.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है किग्राम मण्डावली, पटवार हल्का ढोरिया तहसील निम्बाहेडा में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात निम्नानुसार स्थित है :

क्र.सं.	साबिक आराजियात का विवरण		नवीन आराजियात का विवरण	
	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा में)	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
1	666	9–14	1149	2.45
2	667	9–07	1151	2.37
3	808 / 526	6–04	992	1.57
4	766 / 667	0–08	1150	0.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:39 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के भाई विपक्षी संख्या 1 बाबुलाल द्वारा अपना दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा जरिये पंजीकृत हकत्याग विलेख के माध्यम से दिनांक 04.11.2009 को प्रार्थी के हक में हकत्याग कर मौके पर कब्जा भी प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया, उक्त रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर नामांतरण संख्या 1141 स्वीकृत किया जाकर बाबुलाल का सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज किया गया। यह कि उपरोक्त वर्णित आराजियात में से खातेदार मोहनी ने भी अपने सम्पूर्ण हक हिस्से का हकत्याग प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई छगनलाल के पक्ष में किया गया जिसका नामांतरण संख्या 1140

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

द्वारा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया। इसलिये उपरोक्त आराजियात में हकत्यागकर्ता मोहनीबाई व विपक्षी संख्या 1 बाबुलाल का कोई भी हक हिस्सा शेष नहीं रहा हैं, लेकिन खाते से मोहनीबाई का नाम तो हटा दिया गया लेकिन विपक्षी संख्या 1 बाबुलाल का नाम हकत्याग करने के बावजूद सहवन से दर्ज रह गया। जिसे हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त नवीन आराजियात में विपक्षी संख्या 1 बाबुलाल का नाम विलोपित किया जाकर खाते मे प्रार्थी नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर पिता लक्ष्मीलाल का नाम दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थीके अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजियात में विपक्षी संख्या 1 बाबुलाल के नाम दर्ज हिस्से को पूर्व की भांति प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने एवं विपक्षी बाबुलाल का नाम विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार, निम्बाहेडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम मण्डावली के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2077–2080में खाता संख्या 110 की आराजी नम्बर 1151 रकबा 2.37 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 992 रकबा 1.57 हैक्टेयर किता 2 रकबा 3.94 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी श्री नन्दकिशोर पिता लक्ष्मीलाल धाकड 5/64 सा.देह खातेदार एवं विपक्षी संख्या 1 बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल धाकड 5/64 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 111 की आराजी नम्बर 1150 रकबा 0.10 हैक्टेयर गे.मु. चाह में नन्दकिशोर पिता लक्ष्मीलाल 3/32 धाकड सा.देह के नाम एवं बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल धाकड 2/32सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खाता संख्या 112 की आराजी नम्बर 1149 रकबा 2.45 हैक्टेयर में नन्दकिशोर पिता लक्ष्मीलाल 5/194 धाकड सा.देह के नाम एवं बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल धाकड 5/194 सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अनुसार साबिक आराजी नम्बर 666 रकबा 9–14 बीघा (नवीन आराजी नम्बर 1149 रकबा 2.45 हैक्टेयर) साबिक आराजी नम्बर 667 रकबा 9–07 बीघा (नवीन आराजी नम्बर 1151 रकबा 2.37 हैक्टेयर), साबिक आराजी नम्बर 808/526 रकबा 6.04 बीघा (नवीन आराजी नम्बर 992 रकबा 1.57 हैक्टेयर), साबिक आराजी नम्बर 776/667 रकबा 0–08 बीघा (नवीन आराजी नम्बर 1150 रकबा 0.10 हैक्टेयर) में रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 04.11.2009 से पंजीयन क्रमांक 2009002950 से दस्तावेज अनुसार प्रार्थी के सगे भाई श्री बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल धाकड द्वारा अपना दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा श्री नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर धाकड पिता लक्ष्मीलाल धाकड निवासी मण्डावली को हकत्याग किया गया, लेकिन नवीन राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश बाबुलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। साबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार मु. मोहनीबाई बेवा लक्ष्मीलाल धाकड के द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 04.11.2009 पंजीयन क्रमांक 2009002951 से दस्तावेज अनुसार अपने दोनों पुत्रों नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर एवं छगनलाल पिता लक्ष्मीलाल धाकड को अपना दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा हकत्याग किया गया था, जिसका साबिक नामांतरण संख्या 1140 से रिकार्ड में अमल दरामद जमाबंदी संवत 2065–2068 में किया गया यह कि उसके बाद बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल धाकड के रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र का नामांतरण संख्या 1141 से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद जमाबंदी संवत 2065–2068 में किया गया, लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड से पूर्व के नामांतरण 1140 व 1141 का अमल दरामद नहीं होने से जमाबंदी आधार वर्ष 2067–2070 से पूर्व के सभी नामांतरणों का अमल दरामद खाता संख्या 110, 111, 112 में बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल धाकड निवासी मण्डावली का दर्ज हिस्सा पूर्ववत चला आ रहा है, जो कि रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 04.11.2009 से पंजीकृत होकर अपने सगे भाई श्री नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sinvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:39 IST
Reason: SelfAttested

अपना दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा हकत्याग कर चुका है। अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल धाकड का दर्ज हिस्सा गलत दर्ज चला आ रहा है। यह कि साबिक आराजी नम्बर 666 रकबा 9–14 बीघा (नवीन आराजी नम्बर 1149 रकबा 2.45 हैक्टेयर) साबिक आराजी नम्बर 667 रकबा 9–07 बीघा (नवीन आराजी नम्बर 1151 रकबा 2.37 हैक्टेयर), साबिक आराजी नम्बर 808/526 रकबा 6.04 बीघा (नवीन आराजी नम्बर 992 रकबा 1.57 हैक्टेयर), साबिक आराजी नम्बर 776/667 रकबा 0–08 बीघा (नवीन आराजी नम्बर 1150 रकबा 0.10 हैक्टेयर) में दिनांक 04.11.2009 से रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र अपने सगे भाई नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर को दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा किये जाने से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है। इसलिये वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा हिस्सा जमाबंदी संवत 2077–2080 में खाता संख्या 110 आराजी नम्बर 1151, 992 किता 2 रकबा 3.94 हैक्टेयर में दर्ज बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल धाकड का हिस्सा 5/64, खाता संख्या 111 में आराजी नम्बर 1150 रकबा 0. 10 हैक्टेयर में दर्ज बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल धाकड का हिस्सा 1/16 व खाता संख्या 11 में दर्ज आराजी नम्बर 1149 रकबा 2.45 हैक्टेयर में दर्ज लक्ष्मीलाल धाकड का हिस्सा 5/194 सम्पूर्ण श्री नन्दकिशोर पिता लक्ष्मीलाल धाकड निवासी मण्डावली के नाम होना चाहिये। इस प्रकार तहसीलदार, निम्बाहेडा ने मय अनुशंषा के जांच रिपोर्ट प्रेषित की है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. मैंने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। ग्राम मण्डावली पटवार हल्का, ढोरिया की साबिक आराजी नम्बर 667 रकबा 9–07 बीघा, आराजी नम्बर 808/526 रकबा 6–04 बीघा एवं आराजी नम्बर 766/667 रकबा 8 बिस्वा में [illegible] लछमीलाल ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/16 में से 1/32 एवं 1/32 हिस्सा अपने दो पुत्रों प्रार्थी श्री नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर एवं प्रार्थी के [illegible] भाई छगनलाल के पक्ष हकत्याग किया रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र की प्रति पत्रावली में संलग्न है एवं श्रीमती मोहनी ने आराजी नम्बर 666 रकबा 9–14 बीघा में दर्ज अपने सम्पूर्ण 4/194 हक हिस्से को भी उपरोक्तानुसार अपने दोनों पुत्रों के पक्ष में आधा–आधा 2/194 एवं 2/194 हिस्सा हकत्याग कर दिया रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र की प्रति पत्रावली में है। जिसका ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundadia
Date: 2023.09.14 17:14:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

मण्डावली की साबिक नामान्तरण संख्या 1140 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। इसी प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 667 रकबा 9-07 बीघा, आराजी नम्बर 808/526 रकबा 6-04 बीघा एवं आराजी नम्बर 766/667 रकबा 8 बिस्वा में से विपक्षी संख्या 1 श्री बाबुलाल पिता लछमीलाल ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/16 को अपने सगे भाई प्रार्थी श्री नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर के पक्ष में हकत्याग कर दिया एवं आराजी नम्बर 666 रकबा 9-14 बीघा में दर्ज अपने सम्पूर्ण 4/194 हक हिस्से को भी उपरोक्तानुसार अपने सगे भाई प्रार्थी श्री नन्दलाल के पक्ष में हकत्याग कर दिया। जिसका ग्राम मण्डावली की साबिक नामान्तरण संख्या 1141 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। साबिक आराजी नम्बर 666 रकबा 9-14 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 1149 रकबा 2.45 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 667 रकबा 9-07 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 1151 रकबा 2.37 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 808/526 रकबा 6-04 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 992 रकबा 1.57 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 766/667 रकबा 8 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1150 रकबा 0.10 हैक्टेयर बने। वक्त सेटलमेन्ट नामान्तरण संख्या 1140 का अमल दरामद तो राजस्व रेकार्ड मे कर दिया गया किन्तु नामान्तरण संख्या 1141 का अमल दरामद नहीं होने से ग्राम मण्डावली की जमाबंदी संवत 2077-2080 की खाता संख्या 110 में दर्ज आराजी नम्बर 1151 रकबा 2.37 हैक्टेयर (साबिक आ.नं. 667 रकबा 9-07 बीघा) एवं आराजी नम्बर 992 (साबिक आराजी नम्बर 808/526 रकबा 6-04 बीघा) कुल किता 2 कुल रकबा में हकत्यागकर्ता श्री बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल 5/64 हिस्सा दर्ज रिकार्ड रह गया। इस आराजी में प्रार्थी का 1/16 हिस्सा, हकत्यागकर्ता श्रीमती मोहनी का 1/16 एवं हकत्यागकर्ता विपक्षी संख्या 1 बाबुलाल का 1/16 हिस्सा दर्ज था। इसमें से हकत्यागकर्ता मोहनी ने अपने हिस्से 1/16 में से आधा 1/32 हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में एवं हकत्यागकर्ता बाबुलाल ने अपना सम्पूर्ण 1/16 हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग कर दिया था इस प्रकार प्रार्थी के आराजी नम्बर 1151 एवं 992 में कुल स्वयं का 1/16 हिस्सा, मोहनी द्वारा हकत्याग किया गया हिस्सा 1/32 एवं बाबुलाल द्वारा हकत्याग किया गया हिस्सा 1/16 कुल 5/32 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होना चाहिए था लेकिन उक्त आराजियात में प्रार्थी नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर का 5/64 हिस्सा एवं हकत्यागकर्ता विपक्षी संख्या 1 बाबुलाल का 5/64 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं जो सम्पूर्ण 10/64 यानि 5/32 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड होना चाहिए था। इसी प्रकार खाता संख्या 111 में दर्ज आराजी नम्बर 1150 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि (साबिक आराजी नम्बर 766/667 रकबा 8 बिस्वा) में हकत्यागकर्ता बाबुलाल का 1/16 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जो बाबुलाल ने प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग कर दिया था।

6. अतः आराजी नम्बर 1150 में बाबुलाल के नाम दर्ज हिस्सा 1/16 प्रार्थी हकत्याग ग्रहिता श्री नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर के नाम दर्ज रिकार्ड होना चाहिए था। इसी प्रकार वर्तमान आराजी नम्बर 1149 रकबा 2.45 हैक्टेयर (साबिक आराजी नम्बर 666 रकबा 9-14 बीघा) में विपक्षी नम्बर 1 श्री बाबुलाल जो हकत्यागकर्ता है का 5/194 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। साबिक आराजी नम्बर 666 रकबा 9-14 बीघा भूमि में प्रार्थी, हकत्यागकर्ता मोहनी एवं विपक्षीनम्बर 1 श्री बाबुलाल प्रत्येक का 4/194 एवं 4-194 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। श्रीमती मोहनी ने अपने दर्ज हिस्से 4/194 का आधा यानि 2/194 हिस्सा तथा विपक्षी नम्बर 1 श्री बाबुलाल ने अपने सम्पूर्ण हिस्से 4/194 का हकत्याग प्रार्थी के पक्ष में कर दिया था। इस प्रकार प्रार्थी स्वयं का हिस्सा 4/194, मोहनी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग किया गया हिस्सा 2/194 एवं विपक्षी नम्बर 1 श्री बाबुलाल द्वारा प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग किया गया हिस्सा 4/194 कुल 10/194 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। वर्तमान आराजी नम्बर 1149 रकबा 2.45 हैक्टेयर में प्रार्थी का 5/194 हिस्सा एवं हकत्यागकर्ता विपक्षी नम्बर 1 का 5/194 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जो सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड चाहिए ताकि प्रार्थी का [illegible] अनुसार आराजी नम्बर 1149 में 10/194 हिस्सा हो सके। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने भी अपनी रिपोर्ट में साबिक आराजी नम्बर 666, 667, 808/526 एवं 766/667 में से विपक्षी नम्बर 1 श्री बाबुलाल द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने सगे भाई प्रार्थी श्री नन्दलाल उर्फ नन्दकिशोर के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sivi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:39 IST
Reason: SelfAttested

हकत्याग कर देने से वर्तमान आराजी नम्बर 1149, 992,1151 एवं 1150 में हकत्यागकर्ता विपक्षी नम्बर 1 श्री बाबुलाल के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से को प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य साबिक रिकार्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकॉर्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम, मण्डावली पटवार मण्डल, ढ़ोरिया की आराजी नम्बर 1149 रकबा 2.45 में विपक्षी नम्बर 1 श्री बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल का दर्ज हिस्सा 5/194, आराजी नम्बर 1151 रकबा 2.37 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 992 रकबा 1.57 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.94 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी नम्बर 1 श्री बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल का दर्ज हिस्सा 5/64 एवं आराजी नम्बर 1150 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी नम्बर 1 श्री बाबुलाल पिता लक्ष्मीलाल का दर्ज 1/16 हिस्सा प्रार्थी श्री नन्दकिशोर पिता लक्ष्मीलाल धाकड के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेश की पालना करने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/8/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:14:39 IST
Reason: SelfAttested